उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-311/2025/122 के-2/22-3-24-17(1779)/2022

लखनऊ : दिनांक:21 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कामेश्वर उर्फ छोटू (बन्दी संख्या-306/2009) पुत्र श्री अमरनाथ प्रजापति, निवासी महुवरिया, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-मिर्जापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-104/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 26-09-2008 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-02-2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15-08-2024 तक 16 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।

6- पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in